

प्र.स. 56/२०२५
बिकर सिंह बनाम कलविन्द्र सिंह आदि

11/6/24

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर येशी में ली गयी प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम पक्षकाशन का राजीनामा हो चुका है। इसलिए उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 5388, 9। RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय लेकर गम्बर से कम होकर वापिस दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)।
श्री करणपुर

